**एसजेवीएन लिमिटेड**
सीआईएन: एल40101एचपी1988जीओआई008409
(भारत सरकार एवं हि.प्र.सरकार का संयुक्त उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालयः शक्ति सदन, एसजेवीएन लिमिटेड कारपोरेट कार्यालय परिसर,
शनान, शिमला-171006 (हिमाचल प्रदेश) : www.sjvn.nic.in
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, 9 वसंत विहार, फेस-II, देहरादून, उत्तराखंड

विज्ञापन सं: **85/2018** अंतिम तिथि: **30.09.2018**

## प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए अधिसूचना

**एसजेवीएन लिमिटेड,** एक मिनी रत्न शेड्यूल 'ए' सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम **पात्र अभ्यर्थियों, जो उत्तराखंड के निवासी हों,** से प्रशिक्षुता अधिनियम,1961 के तहत निम्नवत विधाओं में एक वर्ष के प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित करता हैः

| स्नातक प्रशिक्षुता प्रशिक्षणः | | | |
|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **विषय-क्षेत्र** | **सीटों की संख्या** | **शैक्षणिक योग्यता** |
| 1 | सिविल | 6 | एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से संबंधित विधा में इंजीनियिरिंग/टेक्नोलॉजी में पूर्णकालिक स्नातक |
| 2 | इलेक्ट्रीकल | 2 | |
| 3 | मैकेनिकल | 2 | |
| | **योग** | **10** | |
| **डिप्लोमा प्रशिक्षुता प्रशिक्षणः** | | | |
| 1 | सिविल | 12 | एआईसीटीआई/राज्य के तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से संबंधित विधा में इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में पूर्णकालिक डिप्लोमा |
| 2 | इलेक्ट्रीकल | 3 | |
| 3 | मैकेनिकल | 3 | |
| 4 | सूचना प्रौद्योगिकी | 2 | |
| | योग | **20** | |
| **आईटीआई प्रशिक्षुता प्रशिक्षणः** | | | |
| 1. | इलेक्ट्रिशियन | 6 | किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से आईटीआई उत्तीर्ण |
| 2. | ऑफिस सेक्रेटरीशिप/स्टेनोग्राफी/कार्यालय सहायक/कार्यालय प्रबंधन | 3 | |
| 3. | फेब्रिकेटर/फिटर/वेल्डर | 4 | |
| 4. | इन्फॉरमेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी/आईटी | 3 | |
| 7. | मैकेनिकल | 4 | |
| | **योग** | 20 | |

**नोट:** यदि किसी ट्रेड/विधा में पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण सीटें नहीं भरी गई/खाली रहती हैं तो उन्हें अन्य ट्रेड/विधा के लिए परिवर्तित किया जाएगा।

1. **आयु सीमा**: आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 30 वर्ष। (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिए 05 वर्ष , अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) के लिए 03 वर्ष तथा पीडब्ल्यूडी के लिए 10 वर्ष की छूट है) ।

2. **वृत्तिका: :**

i. स्नातक प्रशिक्षु: ₹ 10,000/- प्रतिमाह
ii. डिप्लोमा होल्डर: ₹ 8,000/- प्रतिमाह
iii. आईटीआई प्रशिक्षु: ₹ 7,000/- प्रतिमाह

3. **प्रशिक्षण अवधिः** एक वर्ष
4. **आरक्षण**: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण प्रशिक्षुता अधिनियम,1961 के प्रावधानों तथा इसमें तत्पश्चात् संशोधनों के अनुसार होगा ।.
5. **परियोजना प्रभावित क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों को प्राथमिताः** परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के तहत आने वाली पंचायतों के अभ्यर्थियों के लिए पचास प्रतिशत (50%) सीटें निर्धारित की गई है । अभ्यर्थियों को पंचायत से जारी तथा संबंधित एसजेवीएन परियोजना कार्यालयों द्वारा सत्यापित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
6. **केवल वे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड के निवासी हैं, आवेदन के लिए पात्र हैं ।**
7. अभ्यर्थी विज्ञापन की अंतिम तिथि को आयु सीमा तथा शैक्षणिक योग्यता के संबंध में पात्र होना चाहिए । परिणाम प्रतीक्षित अभ्यर्थी आवेदन न करें ।
8. **एसजेवीएन में रोजगारः** एसजेवीएन द्वारा एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात प्रशिक्षण में कोई विस्तार या रोजगार प्रदान नहीं किया जाएगा ।
9. अभ्यर्थियों को ठहरने का स्वयं प्रबंध करना होगा ।
10. <u>जिन अभ्यर्थियों ने अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए प्रशिक्षण अथवा रोजगार अनुभव प्राप्त किया है, उन्हें प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए पात्र नहीं माना जाएगा । यहां तक कि यदि परिणाम की घोषणा तथा प्रशिक्षण आरंभ करने के मध्य तीन वर्षों से अधिक का अंतर है तो अभ्यर्थी को अपात्र घोषित किया जाएगा ।</u>
11. **चयन का मानदंडः** कोई भी साक्षात्कार नहीं होगा । पात्र अभ्यर्थियों का चयन मैट्रिक परीक्षा(दसवीं) तथा आईटीआई पाठ्यक्रम/डिप्लोमा एवं इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर निम्नलिखित विवरणों के अनुसार बनाई गई मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगाः

| **प्रशिक्षुता** | **वेटेज़** | | | **कुल अंक** |
|---|---|---|---|---|
| स्नातक प्रशिक्षु | दसवीं कक्षा से 20% | 12वीं/डिप्लोमा से 20% (दोनों के मामले में जो भी उच्च हो) | इंजीनियरिंग में कुल योग का 60% | 100 |
| डिप्लोमा तकनीशियन | दसवीं कक्षा से 30% | इंजीनियरिंग में डिप्लोमा से 70% | | 100 |
| आईटीआई तकनीशियन | दसवीं कक्षा से 30% | आईटीआई से 70% | | 100 |

चयनित अभ्यर्थियों की सूची एसजेवीएन की वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ उन्हें डाक के माध्यम से सूचित किया जाएगा ।

12. आवेदन पत्र में दी गई सूचना के आधार पर चुने गए अभ्यर्थियों को सत्यापन के समय सभी मूल प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करना होगा । अभ्यर्थी द्वारा उसके आवेदन में दी गई सूचना/दावे को गलत पाए जाने के मामले में ऐसे आवेदक की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी तथा अभियोजन के लिए भी उत्तरदायी होगा/होगी ।
    अभ्यर्थी को ज्वाईनिंग से पहले चिकित्सा फिटनेस प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।
13. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए चयन एवं तैनाती प्रशिक्षुता अधिनियम के विस्तृत प्रावधानों के अध्यधीन होगी । चयनित अभ्यर्थियों के साथ अनुबंध बोर्ड ऑफ एपरेंटिसशिप ट्रेनिंग(बीओएटी)/नेशनल एपरेटिंसशिप प्रोमोशन स्कीम(एनएपीएस)पोर्टल के तहत पंजीकृत किया जाएगा । इसलिए जो अभ्यर्थी पहले से ही पंजीकृत किए गए हैं तथा इन योजनाओं के तहत प्रशिक्षण प्राप्त है उन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा वे आवेदन न करें ।

**<u>आवेदन कैसे करें:</u>**

पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को एसजेवीएन की बेवसाईट www.sjvn.nic.in में कैरियर सेक्शन के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन करना होगा। किसी अन्य माध्यम/तरीके से आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बेवसाईट पर आवेदनों के पंजीकरण से पहले अभ्यर्थी निम्नलिखित पर ध्यान दें:-

क) वैध ई-मेल आईडी तथा मोबाईल नं., जो कम से कम एक वर्ष तक वैध रहना चाहिए।

ख) अभ्यर्थी के पास नवीनतम पासपोर्ट साईज के स्कैन किए गए फोटोग्राफ के साथ-साथ डिजिटल फार्मेट (केवल .jpg या .jpeg फाईल में 500 केबी साईज से कम) में हस्ताक्षर का फोटोग्राफ आवेदन पत्र के साथ अपलोड करने के लिए।

ग) अभ्यर्थी स्पष्ट रूप से यह नोट करें कि अपूर्ण आवेदन-पत्र, आवेदन जमा न होने अथवा किसी भी कारण से उनकी प्राप्ति में हुए किसी विलम्ब के कारण आवेदन रद्द होने पर एसजेवीएन जिम्मेवार नहीं होगा ।

**महत्वूपर्ण तिथियां**

आवेदन जमा करने के लिए ऑन लाईन पंजीकरण का आंरभ : **1-09-2018**

वेबसाईट के माध्यम से आवेदनों को जमा करने की अंतिम तिथि : **30-09-2018**

**नोट:**

- आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय में व्यवस्तता से बचने के लिए पर्याप्त समय पूर्व आवेदन करें। एसजेवीएन ऑन लाईन आवेदन को जमा करने में नेटवर्क समस्या अथवा किसी अन्य समस्या के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- **मैनुअल/पेपर आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।**